कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail:nodalofficerddn@gmail.com **Phone/ Fax: 0135-2767611**

पत्रांक– 345 /FP/UK/IRRIG/8805/2015 :देहरादूनः दिनांकः 4 अगस्त, 2021

सेवा में,

सचिव प्रभारी,
वन अनुभाग–3,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद –रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत सियागाड नहर के निर्माण हेतु 0.231 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु सिंचाई विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः–वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या–1313/X-4-16/1(246)/2016 दिनांक 17–03–2017

महोदय,

कृपया शासन के उपरोक्त विषयक पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे शासन द्वारा विषयांकित प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त के क्रम में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग के पत्रांक 271/12–1(2) दिनांक 31.07.2021 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित हैः–

1. शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पडे स्थानों पर 100 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु देय धनराशि रू0 1,21,000.00 मात्र ऑनलाईन चालान के माध्यम से सम्बन्धित कोष मे जमा की जा चुकी है।
2. शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की देय धनराशि रू0 1,51,767.00 मात्र ऑनलाईन चालान के माध्यम से सम्बन्धित कोष मे जमा की जा चुकी है।
3. शर्त संख्या–3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित एन0पी0वी0 की बचनबद्धता का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–1)**
4. शर्त संख्या–4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्तानुसार कुल ऑनलाईन जमा की गयी चालान की धनराशि रू0 2,72,767.00 मात्र की रसीद की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–2)**
5. शर्त संख्या–5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–3)**
6. शर्त संख्या–6 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित वनाधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित अभिलेख संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं। **(संलग्नक–4)**

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण में विधिवत स्वीकृति/शासनादेश निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नः–यथोपरि

भवदीय,

(डा0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।
4

संख्या– /FP/UK/IRRIG/8805/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग ।
2. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग।

(डा0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।